

वैधानिक, वनियामक और वभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय

संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय क्या हैं?

■ संवैधानिक निकाय:

- संवैधानिक निकाय एक संस्था या प्राधिकरण है जो अपनी शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ सीधे भारतीय संविधान से प्राप्त करता है, जो या तो इन संस्थाओं को सीधे स्थापित करता है या उनके निर्माण को अधिदेशित करता है, उनकी संरचना, शक्तियाँ, कार्यों एवं कर्तव्यों को रेखांकित करता है, जसिसे वे देश के शासन तथा प्रशासनिक ढाँचे का एक मौलिक हिस्सा बन जाते हैं।
- उदाहरण: भारतीय नरिवाचन आयोग (ECI), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), भारतीय वित्त आयोग (FCI), वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST परिषद), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग (NCBC), भारत के नरित्तरक और महालेखा परीक्षक (CAG) आदि।
- इनमें से प्रत्येक संवैधानिक निकाय की वशिष्ट भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसा कि संबंधित संवैधानिक प्राधानों में उल्लिखित है।

■ वैधानिक निकाय:

- भारत में वैधानिक निकाय गैर-संवैधानिक निकाय हैं, क्योंकि उनका संविधान में उल्लेख नहीं है।
- स्थापना:
 - इन निकायों की स्थापना संसद के अधिनियम या राज्य विधानमंडलों के अधिनियम के माध्यम से की जाती है, जसिसे उन्हें शासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ प्राप्त होती हैं।
 - उन्हें 'वैधानिक' के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे वधायिका द्वारा पारित वधि (कानूनों) से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं।
- उद्देश्य:
 - इन्हें वशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने, वशिष मुद्दों को संबोधित करने और वभिन्न कषेत्रों को वनियमित करने के लिये बनाया गया है।
- शक्तियाँ:
 - वे राज्य या देश की ओर से कुछ कानून लागू करने, पारित करने और नरिणय लेने के लिये अधिकृत हैं।

नोट: एक ही निकाय के पास वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक कार्य हो सकते हैं।

भारत में प्रमुख वैधानिक निकाय क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं?

■ भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI):

- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रज़िर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्राधानों के अनुसार की गई थी। इसे मूल रूप से वर्ष 1935 में एक नज़ी इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और अब यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।
- मुख्य कार्य:
 - मौद्रिक प्राधिकरण: यह मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिये मौद्रिक नीति को लागू करता है तथा उसकी नगरानी करता है। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे को मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा लिये गए नरिणयों के साथ RBI अधिनियम 1934 में वर्ष 2016 के संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था।
 - वित्तीय प्रणाली का वनियामक और पर्यवेक्षक: RBI बैंकिंग परिचालन, लाइसेंस जारी करने, तरलता को वनियमित करने और जमाकर्त्ताओं के हतियों की रक्षा करते हुए वित्तीय प्रणाली में जनता का वशिवास सुनिश्चित करने के लिये मानदंड नरिधारित करता है।
 - वदेशी मुद्रा प्रबंधक: यह भारत के वदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, बाह्य व्यापार को सुगम बनाता है और रुपए के मूल्य को बनाए रखता है।
 - मुद्रा जारीकर्त्ता: सार्वजनिक उपयोग के लिये इसकी गुणवत्ता और पर्याप्तता सुनिश्चित करते हुए मुद्रा जारी करता है तथा उसका प्रबंधन करता है।
 - वकिसात्मक भूमिका: ग्रामीण वित्त को बढ़ावा देने और लघु उद्योगों के लिये प्राथमिकता वाले कषेत्र को ऋण देने जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करता है।

- **अन्य कार्य:** सरकार और अन्य बैंकों के लिये बैंकर के रूप में कार्य करता है, सरकारी नधियों, प्रेषणों तथा सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है। यह बैंकों के लिये अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है।
- **भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड (SEBI):**
 - **SEBI भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड अधिनियम, 1992** के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
 - **शक्तियाँ और कार्य:**
 - SEBI एक **अर्द्ध-वधायी और अर्द्ध-न्यायिक निकाय** है जो नियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, जाँच कर सकता है, नरिण्य पारित कर सकता है तथा जुर्माना लगा सकता है।
 - यह पूंजी जुटाने के लिये बाज़ार उपलब्ध कराकर जारीकरत्ताओं की सेवा करता है, नविशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और मध्यस्थों के लिये प्रतस्पर्धी बाज़ार की सुविधा प्रदान करता है।
 - SEBI **उद्यम पूंजी कोष तथा म्यूचुअल फंड की देखरेख करता है** और प्रतभूति बाज़ारों से संबंधित धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतबिंधित करने के लिये भी कार्य करता है।
- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):**
 - **NHRC** की स्थापना **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Human Rights Act- PHRA), 1993** के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को की गई थी तथा वर्ष 2006 और 2019 में इसमें संशोधन किया गया था।
 - यह **भारतीय संविधान** द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध तथा भारत में न्यायालयों द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
 - **भूमिका और कार्य:**
 - यह न्यायिक कार्यवाही के लिये सविलि न्यायालय के रूप में कार्य करता है तथा मामला घटित होने के एक वर्ष के भीतर मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच कर सकता है।
 - मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच के लिये केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों या जाँच एजेंसियों की सेवाओं का प्रयोग करने का अधिकार है।
- **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW):**
 - **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** के तहत NCW को जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
 - यह महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर **सरकार को सलाह देता है** और भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतनिधित्व करता है।
 - **NCW दहेज, नौकरियों में लैंगिक समानता और महिलाओं के शोषण जैसे मुद्दों को संबोधित करता है।** यह महिलाओं के खिलाफ हिसा, भेदभाव और अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की भी जाँच करता है।
- **राष्ट्रीय हरति अधिकरण (NGT):**
 - **NGT राष्ट्रीय हरति अधिकरण अधिनियम, 2010** के तहत स्थापित एक वशिष्ट निकाय है, इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी शीघ्र नपिटान करना है।
 - यह अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध सात प्रमुख कानूनों के तहत विवादों को संभालता है, जिसमें **जल (प्रदूषण नविवरण और नयितरण) अधिनियम, 1974, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वायु (प्रदूषण नविवरण और नयितरण) अधिनियम, 1981** तथा अन्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य दायर किये जाने के 6 महीने के भीतर अपील को हल करना है।
- **केंद्रीय सतरकता आयोग (CVC):**
 - **CVC** भारत में **शीर्षस्थ सतरकता संस्थान** है। यह किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है।
 - CVC को सरकार द्वारा फरवरी 1964 में **के. संथानम** की सफारिशों पर की गई थी और इसे **CVC अधिनियम, 2003** द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था।
 - यह केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतरकता गतविधियों की नगिरानी करता है, साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में वभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतरकता कार्यों की योजना बनाने, नषिपादन करने, समीक्षा करने एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है।
- **सशस्त्र बल अधिकरण (AFT)**
 - **सशस्त्र बल अधिकरण** भारत का एक सैन्य अधिकरण है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 2009 को हुई थी और यह **सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007** के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
 - इसके द्वारा सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 तथा वायु सेना अधिनियम 1950 के अधीन व्यक्तियों के संबंध में आयोग, नयिक्तियों, नामांकन तथा कार्यकाल की शर्तों के संबंध में विवादों एवं शिकायतों पर AFT द्वारा नरिण्य अथवा परीक्षण की शक्ति प्रदान की जाती है।
- **भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI):**
 - **CCI** एक वैधानिक निकाय है जो **प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002** को लागू करने के लिये ज़म्मेदार है और इसका गठन मार्च 2009 में किया गया था।
 - यह अधिनियम प्रतस्पर्द्धा-वरिधी समझौतों, उद्यमों द्वारा प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है तथा संयोजनों को नयितरित करता है, जिससे भारत में प्रतस्पर्द्धा पर प्रतकिल प्रभाव पड़ता है।
- **केंद्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड (CBFC):**
 - **CBFC** सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित एक वैधानिक निकाय है, जिसे **सनिमेंटोग्राफ अधिनियम, 1952** के अनुसार फलिमों के सार्वजनिक प्रदर्शन को वनिमित करने का कार्य सौंपा गया है।
 - वे फलिमों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किये जाने से पहले प्रमाणन देते हैं, ताकि कानूनी आवश्यकताओं और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

भारत में वनियामक निकाय क्या हैं?

- **परिचय:**
 - वनियामक निकाय **स्वतंत्र सरकारी एजेंसियाँ/अभिकरण** हैं जो वशिष्ट क्षेत्रों या गतिविधियों के भीतर मानक निर्धारण करने और उन्हें लागू करने के लिये स्थापित की जाती हैं।
 - ये एजेंसियाँ **स्वायत्त रूप से या सीमित कार्यकारी नगिरानी के तहत कार्य कर सकती हैं।**
- **कार्य:**
 - वनियम और दशा-नरिदेश स्थापित करना
 - समीक्षा और मूल्यांकन करना
 - लाइसेंस प्रदान करना
 - नरीक्षण करना
 - सुधारात्मक उपाय का क्रयान्वयन
 - अनुपालन लागू करना।
- **उदाहरण:**
 - **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)**, **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)**, **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, **केंद्रीय औषधिमानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)** और **भारतीय प्रतिसिपर्द्धा आयोग (CCI)**।

भारत में प्रमुख वनियामक निकाय क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं?

- **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)**
 - **NABARD** एक वनियामक और वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में संसदीय अधिनियम **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981** के तहत की गई थी।
 - यह **सहकारी बैंकों** एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का नरीक्षण करता है और साथ ही उन्हें **CBS प्लेटफॉर्म (कोर बैंकिंग समाधान)** से जुड़ने में सहयोग करता है।
- **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)**
 - **FSSAI** भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत **खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006** के तहत स्थापित एक **स्वायत्त वैधानिक और वनियामक निकाय** है।
 - **कार्य:**
 - खाद्य संरक्षा मानकों एवं दशा-नरिदेशों को निर्धारण करने के लिये **नियमों का निर्धारण**।
 - **FSSAI खाद्य व्यवसायों के लिये लाइसेंस** और प्रमाणन प्रदान करना।
 - खाद्य व्यवसायों में कार्यरत प्रयोगशालाओं हेतु **प्रक्रिया एवं दशा-नरिदेश** निर्धारण करना।
 - नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना।
 - **खाद्य उत्पादों में संदूषकों के बारे में डेटा एकत्र करना**, उभरते जोखिमों की पहचान करना और त्वरति चेतावनी प्रणाली शुरू करना।
 - खाद्य सुरक्षा के संबंध में एक **राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क** तैयार करना।
 - खाद्य संरक्षा एवं खाद्य मानकों के संबंध में सामान्य जागरूकता को बढ़ाना।
- **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)**
 - **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण** (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) की स्थापना 20 फरवरी, 1997 को **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997** द्वारा की गई थी।
 - **ट्राई के कार्य:**
 - दूरसंचार सेवाओं को वनियमित करना, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिये टैरिफ का निर्धारण/संशोधन शामिल है, जो पहले केंद्र सरकार में नहिति थे।
 - सेवा की गुणवत्ता और टैरिफ में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
 - नीतितगत मामलों और लाइसेंसिंग मुद्दों पर सरकार को सलाह देना।
- **राष्ट्रीय औषधिमूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)**
 - **NPPA** का गठन वर्ष 1997 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के **फारमास्युटिकल्स विभाग (DoP)** के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया था।
 - **कार्य:**
 - **राष्ट्रीय औषधिमूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) 1995/2013 के औषधिमूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO)** को अपनी शक्तियों के अनुसार लागू करना।
 - औषधिमूल्य निर्धारण और फॉर्मूलेशन से संबंधित अध्ययनों का संचालन तथा प्रायोजन करना।
 - औषधि उपलब्धता की नगिरानी करना, कमी की पहचान करना और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय करना।
 - उत्पादन, नरियात, आयात, वयक्तितगत कंपनी के बाज़ार हसिसेदारी और थोक औषधि एवं फॉर्मूलेशन निर्माताओं की लाभप्रदता पर डेटा एकत्र करना तथा बनाए रखना।
 - प्राधिकरण के नरिणयों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मामलों को संभालना।
 - औषधि नीति में संशोधन पर केंद्र सरकार को सलाह देना और सहायता करना तथा औषधिमूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों का समर्थन करना।

वनियामक निकायों से संबंधित मुद्दे और उपाय क्या हैं?

■ वनियामक नकियाँ से संबंधित मुद्दे:

- **लोकलुभावन दबाव:** राजनीतिक लोकलुभावनवाद अक्सर आर्थिक एजेंडों को कमजोर करता है, जिसके कारण सत्तारूढ़ दलों द्वारा वनियामक कार्यों में हस्तक्षेप होता है, जिसका उदाहरण **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** में सरकारी हस्तक्षेप है।
- **अपर्याप्त समीक्षा तंत्र:** **संसदीय समितियों** द्वारा मुख्य रूप से संचालित वनियामक नकियों के लिये मूल्यांकन प्रक्रियाएँ पर्याप्त रूप से मज़बूत नहीं हैं, जिससे जवाबदेही और नगिरानी की कमी होती है।
- **संरचनात्मक कमजोरी:** कई वनियामक प्राधिकरणों को सूचित नरिणय लेने के लिये **तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है**, हालाँकि विशेषज्ञ पदों पर महत्वपूर्ण रकित्तियाँ बनी हुई हैं। उदाहरण के लिये, **केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोर्ड (CPCB)** में लगभग 20% पद रकित है, जैसा कि इसकी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है।
- **ओवरलैपिंग अधिकार क्षेत्र:** कई वनियामक नकियों के अस्तित्व के कारण ओवरलैपिंग शक्तियाँ होती हैं, जिससे भ्रम और अक्षमता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिये:
 - पर्यावरण क्षेत्र में **केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोर्ड (CPCB)** और **राष्ट्रीय हरति अधिकरण (NGT)** दोनों के पास समान मुद्दों पर अधिकार क्षेत्र है।
 - शकिका क्षेत्र में, **अखलि भारतीय तकनीकी शकिका परिषद (AICTE)** और **वशिवदियालय अनुदान आयोग (UGC)** दोनों ही तकनीकी शकिका की देखरेख करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकार क्षेत्र संबंधी संघर्ष उत्पन्न होते हैं।

■ वनियामक नकियों में सुधार हेतु सुझाए गए उपाय:

- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)** ने वनियामक नकियों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिये कई सुधारों की सफारिश की है:
- **द्वितीय ARC की 12वीं रिपोर्ट:**
 - **मौजूदा कानूनों और वनियामकों की व्यापक समीक्षा** करना, अनावश्यक कानूनों को समाप्त करना और अनुपालन को अधिक सुगम बनाने के लिये पुरानी प्रक्रियाओं को अपडेट करना।
 - उच्च प्रवर्तन मानकों को बनाए रखने के लिये समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन द्वारा **पूरकवनियामक एजेंसियों की मज़बूत आंतरिक पर्यवेक्षण** स्थापित करना।
 - कराधान और सार्वजनिक स्वास्थय जैसे क्षेत्रों में **स्व-वनियमन को बढ़ावा देना** और प्रवर्तन बोझ को कम करने के लिये स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना।
 - पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिये **वनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना**, वविक को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना जिससे भ्रष्टाचार कम हो।
- **द्वितीय ARC की 13वीं रिपोर्ट:**
 - प्रत्येक मंत्रालय या वभाग को एक **'प्रबंधन वक्तव्य'** वकिसति करना चाहिये जो प्रत्येक वनियामक के उद्देश्यों और भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो।
 - वनियामक प्राधिकरणों की नयिकता, कार्यकाल और नषिकासन की शर्तों में अधिक स्थरिता स्थापित करना ताकि उनकी स्वतंत्रता एवं स्थरिता सुनश्चित हो सके।
 - जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिये वभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियों के माध्यम **स्ववनियामक नकियों की संसदीय नगिरानी को मज़बूत करना**।
 - प्रवर्तन बोझ को वतितरित करने और अनुपालन को सत्यापित करने के लयिनागरिक समूहों एवं पेशेवर संगठनों को **वनियामक गतविधियों** में शामिल करना।

अर्ध-न्यायिक नकिया क्या हैं?

■ परिचय:

- अर्ध-न्यायिक नकिया **गैर-न्यायिक संस्थाएँ हैं जिनके पास कानून की व्याख्या करने का अधिकार है** जैसे कि **मध्यस्थता पैनल या न्यायाधिकरण बोर्ड** जिन्हें न्यायालय या न्यायाधीश के समान शक्तियाँ और प्रक्रियाएँ दी गई हैं।
- उदाहरण के लिये, **भारतीय नरिवाचन आयोग** एक अर्ध-न्यायिक नकिया है, लेकिन इसका मूल कार्य न्यायालय जैसा नहीं है।

■ विशेषताएँ:

- **वविाद समाधान:** अर्ध-न्यायिक नकियों के पास मामलों में **मध्यस्थता करने** और दंड लगाने का अधिकार होता है। पक्षकार इन नकियों से न्याय की मांग कर सकते हैं, जिससे वे औपचारिक न्यायिक प्रणाली की जटिलताओं से बच सकते हैं।
- **सीमति न्यायिक शक्तियाँ:** उनका अधिकार क्षेत्र सामान्यतः वतितीय बाज़ारों, रोज़गार कानूनों, सार्वजनिक मानकों या वनियामक मामलों जैसे **वशिषज्ञता के वशिषिट क्षेत्रों तक ही सीमति** होता है।
 - उदाहरण के लिये, **कंपनी वधि अपील अधिकरण** कॉरपोरेट प्रशासन और कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों पर वचार करता है।
- **पूरव नरिधारति नयिम:** अर्ध-न्यायिक नकियों के नरिणय और पुरस्कार अक्सर स्थापित नयिमों द्वारा नरिदेशति होते हैं तथा मौजूदा कानूनी ढाँचों पर आधारित होते हैं।
- **दंड देने वाला प्राधिकारी:** इन नकियों के पास अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उल्लंघन के लिये दंड की शक्ति होती है।
 - भारत में **उपभोक्ता न्यायालय** उपभोक्ता वविादों का नपिटारा करते हैं तथा **अवैध कार्यों** में लपित कंपनियों को दंडित करते हैं।
- **न्यायिक समीक्षा:** अर्ध-न्यायिक नकियों के नरिणयों के **वरिद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है**, जिसमें न्यायपालिका का नरिणय सर्वोपरि होता है।
- **वशिषज्ञ नेतृत्व:** न्यायपालिका के वपिरित, जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश करते हैं, अर्ध-न्यायिक नकियों का नेतृत्व सामान्यतः वतित, अर्थशास्त्र और वधि जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों के वशिषज्ञों द्वारा कया जाता है।

■ शक्तियाँ:

- **सुनवाई आयोजति करना:** वे साक्ष्य एकत्र करने और गवाहों की गवाही सुनने के लिये सुनवाई कर सकते हैं।
- **तथ्यात्मक नरिधारण:** अर्ध-न्यायिक अधिकारी सुनवाई में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रासंगिक तथ्यात्मक नरिधारण कर सकते हैं।

- **वधि लागू करना:** वे अपने द्वारा निर्धारित तथ्यों पर वधि लागू कर सकते हैं और शामिल पक्षों के **वधिकि अधिकारों**, **करतव्यों** या **वशिषाधिकारों** के विषय में नरिणय ले सकते हैं।
- **आदेश या नरिणय जारी करना:** वे ऐसे आदेश या नरिणय जारी कर सकते हैं जिनमें वधिकि बल हो, जैसे किसी पक्ष को हरजाना देने या कुछ शर्तों का पालन करने की आवश्यकता हो।
- **नरिणयों को लागू करना:** वे अपने नरिणयों को लागू करने के लिये कदम उठा सकते हैं, जैसे कि गैर-अनुपालन के लिये जुर्माना या अन्य दंड लगाना।

भारत में प्रमुख अर्ध-न्यायिक निकाय कौन से हैं?

- **आयकर अपीलीय अधिकरण**
 - यह **आयकर अधिकारियों** के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर करने के लिये एक अर्ध-न्यायिक अधिकरण है।
 - आयकर विभाग आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध **ITAT** के समक्ष अपील भी दायर कर सकता है।
- **दूरसंचार विवाद नपिटान एवं अपीलीय अधिकरण (TDSAT)**
 - **TDSAT** दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंसप्रदाता, लाइसेंसधारियों और उपभोक्ता समूहों से जुड़े विवादों का नपिटारा करने के लिये ज़िम्मेदार है।
 - वर्ष 2004 में, **TDSAT** के अधिकारिता का विस्तार करके प्रसारण संबंधी मुद्दों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इसके अलावा **वृत्तित अधिनियम 2017** के माध्यम से, इसका दायरा आगे बढ़ाकर साइबर अपीलीय अधिकरण एवं हवाई अड्डा आर्थिक वनियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण के अधीन आने वाले मामलों को भी इसमें शामिल कर दिया गया।
- **केंद्रीय सूचना आयोग (CIC):**
 - **CIC सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** के तहत सार्वजनिक अधिकरणों द्वारा लिये गए नरिणयों के खिलाफ शिकायतों और अपीलों की सुनवाई के लिये अंतिम अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- **लोक अदालत**
- **वृत्तित आयोग**
- **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद नवारण आयोग**
- **राष्ट्रीय हरति अधिकरण**
- **रेल दावा अधिकरण**

न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?

आधार	न्यायिक निकाय	अर्ध-न्यायिक निकाय
अधिकार	यह एक न्यायालय है जिसके पास वधिकि व्याख्या करने और उसे लागू करने, मामलों की सुनवाई करने तथा नरिणय देने व नरिणयों को लागू करने का अधिकार है।	यह एक एजेंसी या न्यायाधिकरण है जो विवादों का नरिणय करने और नरिणयों को लागू करने के लिये न्यायालय की तरह कार्य करता है।
स्वतंत्रता	यह सरकार की कार्यकारी और वधियायी शाखाओं से स्वतंत्र है तथा वधिकि शासन को बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार है।	यह पूर्ण न्यायालय नहीं है और इसकी स्वतंत्रता कम है। सरकार की कार्यकारी और वधियायी शाखाओं का इस पर अधिक नरिणय होता है।
क्षेत्राधिकार	उनके पास सविलि और आपराधिक मामलों सहित कई तरह के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है।	उनका अधिकार क्षेत्र सीमित है और वे केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जो उनकी वशिषज्ञता या विषय-वस्तु के वशिषिट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
नरिणय लेने का आधार	उनके पास नए कानूनी उदाहरण स्थापित करने की शक्ति है जिसका उपयोग भविष्य के मामलों में किया जा सकता है।	उनके नरिणय वशिषिट मामले पर वदियमान कानूनों को लागू करने तक सीमित होते हैं।
न्यायाधीश	इसमें सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीश या न्यायिक मजसिद्रेट शामिल होते हैं।	इसमें सरकार या किसी वशिष एजेंसी/अभिकरण द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों और वशिषज्ञों का संयोजन हो सकता है।
कठोरता	वे सामान्यतः अधिकि औपचारिक होते हैं और प्रक्रिया के सख्त नरिणयों का पालन करते हैं।	यह तुलनात्मक रूप से कम औपचारिक है, लेकिन फरि भी वे साक्ष्य के नरिधारित प्रक्रियाओं और नरिणयों का पालन करते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. अर्ध-न्यायिक (न्यायिकवत्) निकाय से क्या तात्पर्य है? दोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिये। (2016)

प्रश्न. भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों (मकैनज़िम) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टपिपणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी प्रक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का

आकलन कीजिये। (2014)

प्रश्न: "केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके वरिद्ध शिकायतों एवं परवादों के नविरण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।" व्याख्या कीजिये। (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/statutory,-regulatory-and-various-quasi-judicial-bodies>

